# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

**पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)**

मुकदमा नम्बर 154 / 2022 — दायर दिनांक –27.07.2022

1. पूर्णमल पुत्र रतनलाल
2. परमेश्वर पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

वादीगण

बनाम

1. बिमला देवी पत्नी रतनलाल
2. श्यामसुन्दर पुत्र कन्हैयालाल
3. सुशिला पत्नी ओमप्रकाश
4. दीपक पुत्र कैलाश
5. संदीप पुत्र कैलाश
6. सुमन पत्नी कैलाश समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. प्रबंधक देवस्थान विभाग जयपुर
9. सचिव देवस्थान विभाग जयपुर
10. जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू।

प्रतिवादीगण

**वकील वादी :– श्री सज्जन कुमार चाहर**

**वकील प्रति॰ :– राज0 पैरो0**

**<u>दावा बाबत– घोषणार्थ व</u>**
**<u>रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>**

## –:: <u>निर्णय</u> ::–

**दिनांक : 20.07.2025**

**वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–** ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 2.32 है0, खसरा नं0 111 रकबा 1.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.84 है0 स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्वत् 2019 –2032 तक वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज शिवनारायण, रामदेवा पुत्रान डूंगरसिंह दास के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी व खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ संलग्न है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा व काश्त रहा है जो निम्नानुसार है। सम्वत् 2019 से 2032 तक शिवनारायण रामदेवा पुत्रान डूंगरसिंह दास जिसमें भूमि खसरा नम्बर 110 व 111 के कुल रकबा 3.84 है में 1/2–1/2 हिस्सा दोनो भाइयों का तथा जिसमें शिवनारायण के वारिस वाद पत्र की मद सख्या 1 अनुसार है। वादीगण नं0 1 का 1/8 तथा वादी नं0 2 का 1/16 तथा प्रतिवादीगण नं0 1 का 1/8 तथा प्रतिवादीगण नं0 2 का 1216 तथा प्रतिवादी नं0 3 का 1/32 तथा प्रतिवादी नं0 4 का 1/32 तथा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 का 1/48–1/48 हिस्से के अुनसार काबिज व काश्त है व अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज व काश्त है व अपने अपने हिस्से पर मकानात बना रखें है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण का ही चला आ रहा है।

उक्त भूमि जिसके पुराना खसरा [illegible] 3.84 है0 था जिसपर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज शिवनारायण का 1/2 हिस्से राजस्व [illegible] नाम दर्ज चला आ रहा था परन्तु सम्वत् 2036 के बाद पैमाइश में राजस्व [illegible] भूमि की खातेदारी बिना किसी प्रकार की जांच किये ही गलती से गलती से मंदिर श्री राधाबल[illegible]क नाम से खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज शिवनारायण [illegible] काश्त था। अतः उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का [illegible] पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित का राजस्व रिकॉर्ड वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित हिस्सोंनुसार दर्ज किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

स.का. [illegible] (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 की ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 08 लगायत 11 की ओर से राज पैरो0 उप0।

प्रकरण में राज0 पैरो0 की ओर से जबाब पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी पर्णमल तथा परमेश्वर उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदीयां तथा मिलान क्षैत्रफल आदि दस्तावेजात् पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौरान बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि वाद पत्र में दर्ज भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादीगण के पर्वज शिवनारायण के नाम से पूर्व में दर्ज था जिसे सम्वत् 2036 में सहवन से मंदिर श्री राधाबल्भजी के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वाद पत्र में दर्ज भूमि का खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण को वाद पत्र में दर्ज हिस्सों अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2075–78 से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम भरवाडी में स्थित खसरा नम्बर 110 रकबा 2.32 तथा ख0 नं0 111 रकबा 1.52 है0 भूमि की खातेदारी मंदिर श्री राधा बल्लभजी के नाम से दर्ज है तथा वादी की ओर से पेश दस्तावेजों व साक्ष्यों से साबित नही होता है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से मंदिर श्री बल्लभजी के नाम से दर्ज कर कर दिया हो। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)

( सुशील कुमार सैनी )

**सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)**
**नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़**

**मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)**

**दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती**

**मुकदमा सं0:– 154 / 2022** **( पर्णमल आदि बनाम बिमला आदि )**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 06.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 12.00 | | 0.00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:57 IST
Reason: SelfAttested